

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-02-09/2025

7949

पटना, दिनांक- 22.7.25

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश

सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:-मांग संख्या-37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष-0110 - मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्रावधानित राशि ₹ 5926.00 लाख (उनसठ करोड़ छब्बीस लाख) रु0 मात्र के विरुद्ध ₹ 4026.00 लाख (चालीस करोड़ छब्बीस लाख) रु0 मात्र की राशि व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मांग सं0-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 796- जनजातीयों क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष-0110 - मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्रावधानित राशि ₹ 5926.00 लाख (उनसठ करोड़ छब्बीस लाख) रु0 मात्र के विरुद्ध योजना हेतु ₹ 3816.00 लाख मात्र ब्राडा के लेजर-20457 में, योजना के Administrative Fund में ₹150.00 लाख मात्र लेजर-19840 में तथा योजना के Contingency Fund में ₹ 60.00 लाख मात्र को लेजर-20389 में कुल राशि ₹ 4026.00 लाख (चालीस करोड़ छब्बीस लाख) रु0 मात्रव्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विपत्र कोड 37-4515007960110 है एवं विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य है।

2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के CFMS Deposit Account- PNBPLA004 (CTMIS PL Account- PLA239) के उल्लेखित लेजर संधारित करेंगे।

3. सचिव, बी0आर0आर0डी0ए0 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. इस योजना का व्यय मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप. मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 796- जनजातीयों क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष-0110 - मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

5. उक्त राशि का व्यय मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के निर्दिष्ट योजना में नियमानुसार किया जायेगा। इस राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं जिस कार्य के लिए यह राशि आवंटित की जायेगी, उसी कार्य के लिए इस राशि को व्यय किया जायेगा।

6. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जायेगा, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. इस योजना के अंतर्गत राशि की निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम0-05-98-2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-ब-15/बी0एस0जी0-12/2025-227 दिनांक- 28.03.2025 एवं पत्रांक-18/निधि निकासी एवं व्यय नि0-118/2025/513 दिनांक-11.07.2025 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ0 प्र0-02-09/2025 के पृष्ठ संख्या-12/टि0 पर दिनांक- 16.07.2025 को प्राप्त है।

9. इस राशि की स्वीकृति माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या-13/अ0प्र0-02-09/2025 के पृ0-13/टि0 पर दिनांक- 19.07.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

/पटना, दिनांक-22.7.25

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-09/2025

7944

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

/पटना, दिनांक 22.7.25

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-09/2025

7944

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ अभियंता प्रमुख, ग्रा0का0वि0/सचिव, ब्राडा ग्रा0का0वि0/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/ योजना विभाग (योजना शाखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

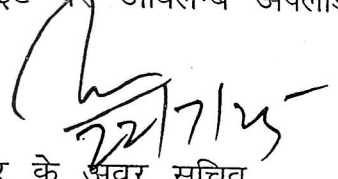
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-09/2025

7949

पटना, दिनांक 22-7-25

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।


सरकार के अवर सचिव